

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

सूचना

विभाग द्वारा जारी पूर्व समसंख्यक सूचना दिनांक 25-05-2018 से विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वर्ष 2001-02 से 2017-18 तक की पुनर्वावलोकन बैठक /रिव्यू डीपीसी0 में चयनित प्रधानाचार्य-उमावि एवं समकक्ष हेतु चयनित आशार्थियों की सूची (क्रम संख्या-1 से 170 तक) तथा वर्ष 2011-12 से 2017-18 तक की पुनर्वावलोकन बैठक /रिव्यू डीपीसी0 में चयनित प्रधानाध्यापक-मावि एवं समकक्ष हेतु चयनित आशार्थियों की सूची (क्रम संख्या-1 से 201 तक) के सन्दर्भ में यह भी सूचित किया जाता है कि :-

ए :- उक्त प्रधानाचार्य-उमावि सूची में से ऐसे कार्मिक जो कि पूर्व से ही प्रधानाचार्य-उमावि के रूप में कार्यरत हैं अथवा प्रधानाध्यापक-मावि सूची में से ऐसे कार्मिक जो कि पूर्व से प्रधानाध्यापक-मावि के रूप में कार्यरत हैं, ऐसे कार्मिकों को दिनांक 28-05-2018 को निदेशालय-बीकानेर में परामर्श-कैम्प (काउन्सलिंग कैम्प) में उपस्थिति होने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे कार्मिकों के सम्बन्ध में यथावत पदस्थापन आदेश विभाग द्वारा तत्समय जारी कर दिया जायेगा।

बी :- साथ ही उक्त दोनों सूचियों में उल्लेखित सभी कार्मिकों के सम्बन्ध में यदि वर्तमान पदस्थापन स्थान की सूचना में भिन्नता/ परिवर्तन हो गया हो तो विभाग को प्रार्थना पत्र/विभागीय ई-मेल आई डी. के माध्यम से अवगत करवाया जाना भी सुनिश्चित करावें ताकि इनके वर्तमान पदस्थापन स्थान की अद्यतन-सूचना के आधार पर इनके सम्बन्ध में यथावत पदस्थापन आदेश प्रसारित किया जा सके।

बिन्दु ए तथा बी में उल्लेखित कार्मिकों को छोड़कर, शेष कार्मिकों में से प्रधानाचार्य-उमावि0 स्तर के अधिकारियों हेतु परामर्श कैम्प का समय, प्रथम चरण प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक का रहेगा तथा प्रधानाध्यापक-मावि के लिए परामर्श कैम्प का द्वितीय चरण का समय बाद दोपहर 02:00 बजे से सांय 06:00 बजे तक का रहेगा।

सयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रं :: शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधाना-रिव्यूडीपीसी/11-12 से 17-18/पदस्थापन/2018 दि 27-5-18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

- 1 उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 2 सम्बन्धित शिक्षा उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
- 3 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक प्रथम/द्वितीय।
- 4 सम्बन्धित संस्था प्रधान/ कार्मिक को पालनार्थ।
- ✓ 5 एनॉलिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 6 गार्ड पंजिका/ रक्षित पत्रावली हेतु।

सयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर